



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखंड)

विज्ञापन संख्या.डीएसबी/भा.वा.अ.शि.प.-2025

वैज्ञानिक-‘बी’ के पदों के लिए भर्ती - 2025

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (भा.वा.अ.शि.प.) के अंतर्गत वैज्ञानिक-‘बी’ के पदों पर भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

वैज्ञानिक-‘बी’ के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी, भा.वा.अ.शि.प.के नियमों/आदेशों के अंतर्गत भत्ते सहित वेतनमान (56,100 – 177500 रुपये) के लेवल 10 (7वें वेतन आयोग) हेतु अनुशंसित होंगे।

1. वैज्ञानिक-बी के लिए रिक्तियां: विभिन्न विषयों के अंतर्गत वैज्ञानिक 'बी' की रिक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:-

(i) पदों की अनुमानित संख्या: 25 (अनारक्षित-10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-04, अ.जा.-04 और अ.पि.व.-06, अ.ज.जा.-01)

क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
1.	2501- जल विज्ञान (एसएचवाईडी)	1	-	1	1	-	3
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जल संसाधन एवं पर्यावरण प्रबंधन/जल विज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जल संसाधन/जल विज्ञान/मृदा एवं जल संरक्षण में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक. डिग्री। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में एम.टेक/पीएच.डी. उपाधि।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
2.	2502- रोगविज्ञान (एसपीटीएच)	1	1	-	1	-	3

अनिवार्य अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पादप रोग विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पादप रोग विज्ञान /वन रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान/वानिकी/कृषि/सूक्ष्म जीव विज्ञान में श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

वांछनीय योग्यता

संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।

क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
3.	2503-रसायन विज्ञान (एससीएचई)	-	1	1	1	-	3

अनिवार्य अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

वांछनीय योग्यता

संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।

क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
4.	2504-मृदा विज्ञान (एसएसएससी)	1	-	-	-	-	1

अनिवार्य अर्हता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ वानिकी/कृषि में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

वांछनीय योग्यता

संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।

क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
5.	2505-वन अर्थशास्त्र	1	-	-	-	-	1

	(एसईसीएम)						
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें वन अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हो। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
6.	2506-वनस्पति विज्ञान (एसबीओटी)	1	1	1	1	1	5
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें वनस्पति वर्गीकरण में विशेषज्ञता हो। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. डिग्री।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
7.	2507-वानिकी (एसएफओआर)	1	1	1	1	-	4
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वानिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
8.	2508- वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रबंधन (एसएफई एवं ईएम)	2	-	-	1	-	3
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण/पर्यावरण प्रबंधन में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।							

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वन पारिस्थितिकी/पर्यावरण प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान/वानिकी/जीवन विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
9.	2509-कीट विज्ञान (एसईएनटी)	1	-	-	-	-	1
<u>अनिवार्य अर्हता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान/वन कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान/वानिकी में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान/कृषि कीट विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।							
क्र.सं.	पद कोड	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.जा.	अ.पि.व.	अ.ज. जा.	कुल
10.	2510- आनुवंशिकी (एसजीईएन)	1	-	-	-	-	1
<u>अनिवार्य योग्यता</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आनुवंशिकी और पादप प्रजनन/पादप आनुवंशिकी में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आनुवंशिकी/वन-आनुवंशिकी/वृक्ष-सुधार में विशेषज्ञता के साथ वानिकी/वनस्पति विज्ञान/कृषि में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। <u>वांछनीय योग्यता</u> संबंधित विषय में पीएच.डी. उपाधि।							

(ii) विशेषज्ञता का अर्थ है:-

(i) उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में डिग्री होनी चाहिए जिसे अनिवार्य अर्हता में विशेषज्ञता के रूप में उल्लेख किया गया हो।

या

(ii) विशेष/वैकल्पिक पेपर/वैकल्पिक पाठ्यक्रम जिसका उल्लेख डिग्री या मार्कशीट में विशेष/वैकल्पिक पेपर के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया हो

या

(iii) आवश्यक विशेषज्ञता में शोध प्रबंध/मास्टर थीसिस जिसका उल्लेख डिग्री या मार्कशीट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

(iii) स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी का अर्थ:

(i) डिग्री या अंकतालिका में प्रथम श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए।

(ii) कोई भी अंक प्रतिशत या ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जीपीए) प्रथम श्रेणी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि डिग्री या अंकतालिका में स्पष्ट रूप से "प्रथम श्रेणी" का उल्लेख न किया गया हो। ऐसे आवेदन बिना किसी सूचना के सीधे तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।

(iii) यदि अनिवार्य योग्यता वाली डिग्री ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जीपीए) प्रणाली पर आधारित है, तो आवेदन के साथ डिग्री या अंकतालिका के साथ प्रथम श्रेणी के मानदंड को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली विधिवत प्रमाणित रूपांतरण प्रणाली अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए। विधिवत प्रमाणित रूपांतरण प्रणाली का अर्थ है; डिग्री या अंकतालिका का भाग, अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित हो। प्रथम श्रेणी का उल्लेख किए बिना ऐसे रूपांतरण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी आवेदन बिना किसी सूचना के सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के अग्रिम निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के खिलाफ नियुक्ति अनंतिम होगी और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (आवेदन की अंतिम तिथि पर वैध वित्तीय वर्ष के लिए) उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित दावा फर्जी/झूठा है तो बिना कोई और कारण बताए सेवा समाप्त कर दी जाएगी और फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई बिना पूर्वाग्रह के की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) दिनांक 31.01.2019 के अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के पास कोई कारण बताए पदों को बढ़ाने या घटाने या विज्ञापित किसी या सभी पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

2. लिखित परीक्षा केंद्र

परिषद देश में कहीं भी परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकती है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने हेतु यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

अध्यक्ष, भर्ती बोर्ड, भा.वा.अ.शि.प. को बिना कोई कारण बताए परीक्षा तिथि/परीक्षा केंद्र में परिवर्तन अथवा परीक्षा निरस्त करने का अधिकार होगा।

3. आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विभागीय अभ्यर्थियों (भा.वा.अ.शि.प. कर्मचारियों) के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी गई है, जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है।

अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा भारत सरकार के नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के अधीन छूट है।

4. आवेदन शुल्क

भुगतान किए जाने वाले आवेदन शुल्क का विवरण:

क्र.सं.	उम्मीदवार की श्रेणी	परीक्षा शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क	कुल शुल्क
1.	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1,000/- रु.	1,000/- रु.	2,000/- रु.
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग(अ.पि.व.)	1,000/- रु.	1,000/- रु.	2,000/- रु.
3.	अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/महिला/दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	1,000/- रु.	1,000/- रु.

अ.पि.व. अभ्यर्थी जिनकी जाति केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध नहीं है (जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध है) और जो अ.पि.व. नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) अभ्यर्थियों के लिए लागू प्रावधानों के अंतर्गत नहीं हैं, उनको सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, अ.पि.व. अभ्यर्थी जो अ.पि.व. नॉन-क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं, अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करेंगे।

डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग से भुगतान के लिए लेनदेन शुल्क, जैसे भी हो, अभ्यर्थी को वहन करना होगा। शुल्क का भुगतान वेबसाइट: <http://recruitment.icfre.gov.in> पर उपलब्ध

ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ही ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान के लिए: भुगतान किसी भी बैंक से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस/पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. राष्ट्रीयता

केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

6. परीक्षा की योजना

परीक्षा की निम्नलिखित योजना के अनुसार एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा: -

1. लिखित परीक्षा:-

प्रश्न पत्र (द्विभाषी- अंग्रेजी और हिंदी में) में संबंधित विषय से कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें अधिकतम 400 अंक होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

प्रश्न पत्र का विवरण	प्रश्न की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
संबंधित विषय पर प्रश्न	100	400	02.00 घंटे

लिखित परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक: -

अभ्यर्थी की श्रेणी	न्यूनतम योग्यता अंक
अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	50%
अ.पि.व.	45%
अ.जा./अ.ज.जा.	40%

लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि और समय: विभिन्न विषयों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की निर्धारित तिथि एवं समय बाद में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम वेबपोर्टल में दिए गए लिंक पर उपलब्ध होंगे।

लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उमीदवारों के शॉर्ट-लिस्टिंग पर परिषद का निर्णय अंतिम होगा और परिषद इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगी।

II. व्यक्तिगत साक्षात्कार:- 70 अंक (*)

*कुल साक्षात्कार अंकों में से 5% अंक वांछनीय योग्यता के लिए दिए जाएंगे।

साक्षात्कार का स्थान: बाद में सूचित किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान हिंदी या अंग्रेजी में संवाद करने की स्वतंत्रता होगी।

7. परीक्षा प्रक्रिया

i) न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी और योग्यता क्रम सूची के अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए 1:5 (एक रिक्ति पर पांच अभ्यर्थी) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम योग्यता क्रम कुल अंकों, अर्थात् लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया जाएगा।

ii) व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु आयु प्रमाण, जाति, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र आदि से संबंधित अपने प्रमाण पत्रों की मूल तथा स्वप्रमाणित प्रति लानी होगी। यदि प्रमाणपत्र किसी स्थानीय भाषा में है तो इसका नोटरी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा। सभी पात्रता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किए होने चाहिए।

iii) टाई-ब्रेकर के लिए नियम

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने समान कुल अंक (लिखित परीक्षा + व्यक्तिगत साक्षात्कार में अंक) प्राप्त करते हैं, तो अभ्यर्थियों की योग्यता निम्नलिखित टाई-ब्रेकर नियमों को लागू करके निर्धारित की जाएगी:

- लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
- यदि उपर्युक्त (a) में उल्लिखित अंक समान हैं, तो ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।

iv) सामान्य निर्देश

- प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में होगा।
- किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए स्क्राइब की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

c) उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में परिषद द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

d) लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को मूल फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक/किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध नया पहचान पत्र/कर्मचारी आईडी लाना आवश्यक है और एक फोटो (ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई) को प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए।

e) लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाता पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

f) परीक्षा हॉल में किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार या नकल करते हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

8. तैनाती स्थान

उपर्युक्त विषयों में पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को परिषद के देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, कोयंबटूर, बेंगलुरु, जोरहाट, शिमला, रांची, हैदराबाद, प्रयागराज, छिंदवाड़ा, अगरतला, आइजोल और विशाखापत्तनम में स्थित किसी भी संस्थान/केंद्र में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, सभी पद भारत में भावा.अ.शि.प. के अंतर्गत किसी भी संस्थान/केंद्र में सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

9. आवेदन की प्रक्रिया

(ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें)

(i) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय निम्नलिखित प्रासंगिक विवरण/सूचना/दस्तावेज/सॉफ्ट कॉपी तैयार रखना चाहिए:

1. वैज्ञानिक 'बी' की भर्ती-2025 का विज्ञापन
2. नाम (माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार)
3. पिता का नाम (माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार)
4. पत्राचार हेतु पूरा पता
5. पूरा स्थायी पता
6. मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र ।
7. योग्यता डिग्री - मास्टर डिग्री/बीई/बी.टेक प्रमाण पत्र/अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र/प्रतिलेख/अंकपत्र ।
8. विशेषज्ञता से संबंधित प्रमाणपत्र/ अंकपत्र, जहां लागू हो।
9. जीपीए को प्रतिशत में बदलने के संबंध में प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
10. डॉक्टरेट डिग्री प्रमाणपत्र/ अनंतिम डिग्री प्रमाणपत्र/प्रतिलेख/अंकपत्र; यदि उपलब्ध हो।

11. हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो की स्कैन की गई प्रति (डिजिटल फाइल जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 100 केबी तक होनी चाहिए)।
12. केवल सफेद कागज पर काली/नीली स्याही से लिए गए हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति (डिजिटल फाइल जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में 100 केबी तक होनी चाहिए)।
13. आयु प्रमाण (10वीं कक्षा की मार्कशीट), जाति/श्रेणी, शैक्षिक योग्यता (योग्यता डिग्री मार्कशीट), विशेषज्ञता से संबंधित दस्तावेज आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां (डिजिटल फाइल पीडीएफ प्रारूप में 1-5 एमबी होनी चाहिए), जिसमें पासवर्ड नहीं लगी होनी चाहिए।
14. कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के मामले में वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति। (डिजिटल फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में 1-5 एमबी की होनी चाहिए)। अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में, अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करने का उल्लेख करत हुए अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं।
15. भा.वा.अ.शि.प. कर्मचारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से आधिकारिक पत्र शीर्ष पर सेवा अनुभव प्रमाण पत्र (जिसमें नाम, वर्तमान पदनाम/पद, 7वीं सीपीसी के अनुसार वर्तमान वेतनमान, वर्तमान स्थान/कार्यालय का पता, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति के बाद की गई सेवा अवधि आदि का उल्लेख हो) की स्कैन की गई प्रति। (डिजिटल फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में 1-5 एमबी की होनी चाहिए)।
16. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर।

(ii) अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

(iii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण भरते समय सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने चाहिए। अनिवार्य फील्ड *(तारांकन) चिह्न से चिह्नित हैं।

(iv) अपलोड किए गए फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य/दृश्यमान होने चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण के अंत में, अभ्यर्थी को उनके द्वारा दी गई जानकारी/विवरणों की पुष्टि/संपादित करने के लिए विकल्प (सही करने के लिए, यदि कोई हो) दिया जाएगा। अंतिम रूप से जमा करने के बाद या आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी भरे हुए/जमा किए गए फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा।

(vi) अपने ऑनलाइन आवेदन के सफल पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण संख्या और अपने आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे बाद में कभी भी मांगे जाने पर जमा करना आवश्यक होगा।

(vii) अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या की सूचना ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र की सूचना वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> पर यथा समय उपलब्ध होगी।

(viii) ऑनलाइन आवेदन पत्र (प्रारूप) दविभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगा, लेकिन इस ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए प्रतिष्ठियां केवल अंग्रेजी भाषा में स्वीकार की जाएंगी।

(ix) सभी अभ्यर्थी, चाहे सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों में, को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एनओसी) की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। **अनापत्ति प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में, अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करने का उल्लेख करते हुए अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं।**

(x) यदि एक अभ्यर्थी से एक ही पद के लिए कई आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पहले प्राप्त सभी आवेदनों को अनदेखा करते हुए, अन्य आवेदनों के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन शुल्क को वापस/समायोजित किए बिना नवीनतम आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(xi) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संशोधन के प्रावधान कई चरणों में हैं। एक बार आवेदन पत्र में जानकारी भरने, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, अभ्यर्थी अपलोड किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज के साथ सम्पूर्ण आवेदन पत्र को देख सकता है और अंतिम रूप से जमा करने से पहले आवेदन पत्र के किसी भी भाग में कोई परिवर्तन/संशोधन कर सकता है। हालांकि, अंतिम रूप से जमा करने के बाद का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी भरे हुए/जमा किए गए फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा।

xii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपनी वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी दर्ज करना आवश्यक है क्योंकि इस परीक्षा के लिए सभी पत्र/सूचना/अपडेट केवल इस ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे। यदि उनके पास ई-मेल आईडी नहीं है, तो वे अपनी पसंद के किसी भी ई-मेल सेवा प्रदाता से यह प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र में निर्धारित भाग में ई-मेल आईडी को प्रविष्टि अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपडेट के लिए अपने ई-मेल/इनबॉक्स/स्पैम/जंक देखते रहें।

(xiii) कृपया आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी तैयार रखें। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए, कृपया अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग विवरण तैयार रखें।

(xiv) केवल आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने और/या प्रवेश पत्र जारी करने से परीक्षा में प्रवेश स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाता है। यदि बाद के किसी भी चरण में सत्यापन पश्चात यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है या गलत/अनुचित/भ्रामक/असत्य जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी और भुगतान किया गया शुल्क ज़ब्त किया जाएगा, जिसमें परिषद द्वारा उचित समझे जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी।

(xv) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन की एक प्रिंट/सॉफ्ट कॉपी भविष्य के पत्राचार के लिए सुरक्षित रखें।

(xvi) किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए हेल्पडेस्क पर ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में पूछताछ दर्ज कर सकते हैं। टेलीफोन/ई-मेल/डाक या किसी अन्य माध्यम से कोई पूछताछ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(xvii) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे सामान्य निर्देश भी ध्यान से पढ़ें।

10. सामान्य निर्देश

(i) ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> पर किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को कोई भी प्रविष्टि करने या विकल्प चुनने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी आवश्यक विवरण देने चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को *(तारांकन) चिह्न से चिह्नित किया गया है।

(ii) आवेदन केवल वेबसाइट <http://recruitment.icfre.gov.in> के माध्यम से दिनांक **16-06-2025 से 15-07-2025** तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। किसी अन्य माध्यम से जमा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थी जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

(iv) किसी भी स्तर पर कोई सूचना असत्य या गलत पाये जाने या संबंधित विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने की स्थिति में, उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त कर दी जाएगी।

(v) अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की तारीख से 30 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और परीक्षा की तारीख से पहले अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं। कृपया अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

(vii) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

(viii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अ.पि.व. श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा 2000/- रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क केवल ऑनलाइन जमा करना है। आवेदन शुल्क के भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।

(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें 1000/- रुपये का प्रसंस्करण शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

(x) पद अस्थायी प्रकृति के हैं लेकिन आगे भी जारी रहने की संभावना है।

(xi) महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के पास बिना कोई कारण बताए पदों को बढ़ाने या घटाने या किसी या सभी विज्ञापित पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है।

(xii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर, विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के लिए सिस्टम द्वारा श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अ.पि.व. के लिए आयु में छूट स्वतः प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, अ.पि.व. (गैर-क्रीमी लेयर) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट रहेगी। आयु गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(xiii) यदि अभ्यर्थी भा.वा.अ.शि.प. स्थायी कर्मचारी श्रेणी के रूप में आयु में छूट का दावा कर रहा है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में सक्षम प्राधिकारी से आधिकारिक पत्र शीर्ष पर प्रासंगिक सेवा अनुभव प्रमाण पत्र (नाम, वर्तमान पदनाम/पद, 7वें सीपीसी के अनुसार वर्तमान वेतन स्तर, वर्तमान स्थान/कार्यालय का पता, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति के बाद प्रदान की गई सेवा की अवधि आदि का उल्लेख करते हुए) संलग्न करना अनिवार्य है।

(xiv) कानूनी विवाद, यदि कोई हो, उत्तराखंड राज्य में सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

(xv) केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

(xvi) केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिनके फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज़ आवश्यक जांच के समय उपयुक्त और स्पष्ट पाए जायेंगे। ऑनलाइन आवेदनों की जांच के बाद सभी अभ्यर्थियों की आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की सहायता से देख पाएंगे।

(xvii) इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में नियत तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों पर एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयन के लिए विचार किया जाएगा और केवल स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा।

xviii) एक बार अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जमा किए गए किसी भी डेटा में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद किसी भी स्कैन किए गए दस्तावेज़ को ई-मेल या किसी अन्य मोड के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xix) अनुवाद अस्पष्टता के मामले में, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लेना चाहिए।

(xx) किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी अभ्यर्थिता को भा.वा.अ.शि.प. द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर उसकी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और निर्देशों में निर्धारित शर्तों या किसी भी स्तर पर मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज़ों का निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(xxi) यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में आयु और अर्हक अंकों में छूट का लाभ नहीं उठाते हैं तो आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी भी योग्यता के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के पात्र होंगे। यदि आयु और अर्हक मानक में छूट का लाभ उठाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार के पात्र होंगे।

(xxii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभों की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमों/नोटिस में निर्धारित पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं।

(xxiii) यदि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में अभ्यर्थियों का दावा गलत पाया जाता है, तो परिषद/भा.वा.अ.शि.प. द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जा सकते हैं और उनकी अभ्यर्थिता रद्द मानी जाएगी।

(xxiv) अभ्यर्थी के नाम या पिता के नाम में किसी भी विसंगति (वर्तनी या उपनाम आदि) के मामले में, उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय अन्य सहायक दस्तावेज़ों के साथ विसंगति को उल्लेख करते हुए और सही नाम को प्रमाणित करने वाला एक मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xxv) अभ्यर्थी को अच्छे मानसिक और शारीरिक अवस्था में होना चाहिए और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कि एक अधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि आवश्यक हो तो भा.वा.अ.शि.प. चिकित्सीय परीक्षण निर्देशित कर सकता है।

(xxvi) कोई भी व्यक्ति अपात्र होगा,

a) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है या

b) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो परिषद किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकता है।

(xxvii) परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्य किसी संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(xxviii) अभ्यर्थी की ओर से किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

(xxix) ऐसे अभ्यर्थी को, जो कि बोर्ड द्वारा प्रतिरूपण या जाली दस्तावेज जमा करने या ऐसे दस्तावेज जिनमें बदलाव किया गया है या गलत या असत्य बयान देने या जानकारी को दबाने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेने या परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों या दुर्यवहार या कदाचार का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने का दोषी पाया या घोषित किया गया है, स्वयं को आपराधिक मुकदमे के लिए उत्तरदायी बनाने एवं संबंधित परीक्षा से अयोग्य घोषित किए जाने के अतिरिक्त:

a) वैसे अभ्यर्थी को

- बोर्ड द्वारा, किसी भी परीक्षा में प्रवेश से या अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपस्थिति से, तथा
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा उनके अधीन रोजगार से स्थायी रूप से या एक निर्धारित अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

b) यदि वह पहले से ही सरकार/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत सेवा में है, तो उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी:

- ऑनलाइन आवेदन जमा करने का लिंक (<http://recruitment.icfre.gov.in>) पर उपलब्ध है। आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता, दिशानिर्देश सहित विवरण इस वेबसाइट में उपलब्ध हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि **16-06-2025 से 15-07-2025** तक उपलब्ध होगी।
- एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। परिषद किसी भी ऐसे संदेश के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो "डू नॉट डिस्टर्ब (DND)" मोड या मोबाइल फोन पर सक्षम किसी अन्य प्रतिबंध के कारण संदेश डिलीवर नहीं हो पाता है।
- **अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र बहुत ध्यानपूर्वक भरना चाहिए।** गलत तरीके से जमा किए गए आवेदन के मामले में, यदि कोई अभ्यर्थी उसी विषय के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह अलग ई-मेल आईडी का उपयोग करके पुनः पंजीकरण और शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

● अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट (<http://recruitment.icfre.gov.in>) देखते रहे। परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी इस वेबसाइट पर ही अपलोड/अपडेट की जाएगी।

